संख्या-06 /2025/I/1191196/2025/11-4099/38/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर,

उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-गाजियाबाद में राज्य कर विभाग के विभागीय आवासीय सरयू टावर भवन की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-UPST-SMPT0PT3(NCWR)/4/1009/2025-SMPT-UPST दिनॉक 06.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-गाजियाबाद में राज्य कर विभाग के विभागीय आवासीय सरयू टावर भवन की बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था- कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज (सी0एंड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम से तैयार आगणन प्रस्ताव/डी0पी0आर0 लागत रू0 56.13 लाख का लोक निर्माण विभाग से सत्यापन कराते हुए कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद-गाजियाबाद में राज्य कर विभाग के विभागीय आवासीय सरयू टावर भवन की बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य** हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित लागत रु0 56.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4216-01-700-09-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्रावधानित बजट के सापेक्ष **परियोजना की सम्पूर्ण धनराशि रु0 56.13 लाख (रुपये छप्पन लाख तेरह हजार मात्र)** की वितीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से आयुक्त/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद/कार्यदायी संस्था की होगी।

4. आयुक्त/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,13,000 (रुपये छप्पन लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 4216017000900 प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी गाजियाबाद।
8. प्रबन्ध निदेशक, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज (सी0एंड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।